

केन्द्रीय विद्यालय संगठन/Kendriya Vidyalaya Sangathan
 18 संस्थागत क्षेत्र/18 Institutional Area,
 शहीद जीत सिंह मार्ग/Shahed Jeet Singh Marg,
 नई दिल्ली-110016 /New Delhi – 110016.
 Tele.011-26858570/26514179(Fax)
 Website: www.kvsangathan.nic.in

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

फा.क्र.11-E-3056(9)/2/2018-Estt-III/5467-172

दिनांक: 15.11.2018

ज्ञापन

विषय: वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के लिए सब-स्टाफ के पद से कनिष्ठ सचिवालय सहायक पद पर पदोन्नति (आरक्षित पैनल)।

सक्षम अधिकारी द्वारा निम्नलिखित सब-स्टाफ को कनिष्ठ सचिवालय सहायक के पद पर सातवें वेतन आयोग के अनुरूप लेवल 2 में पदोन्नत करने को मंजूरी दे दी गई है। उनको उनके नाम के आगे दर्शाए गए कॉलम 6 में उल्लिखित केन्द्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय/ क्षेत्रीय कार्यालय में पदस्थ किया गया है। उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 26.11.2018 तक पदोन्नति के लिए अपनी बिना-शर्त स्वीकृति (Unconditional Acceptance) को इस कार्यालय को प्रेषित करें। साथ ही वे अपने वर्तमान कार्यालय से कार्यमुक्त होकर नियमानुसार कार्यभार ग्रहण करने की अवधि (Joining Time) का उपभोग कर कनिष्ठ सचिवालय सहायक के पद पर 30.11.2018 तक कार्यभार ग्रहण करें। यदि वे दिनांक 29.11.2018 तक वर्तमान कार्यालय से कार्यमुक्त होने में विफल रहते हैं, तो पदोन्नति के इस प्रस्ताव को स्वतः ही वापस ले लिया माना जाएगा और के.वि.सं. (मुख्यालय) के पत्र संख्या 6-6/1999/केवीएस(मुख्यालय)/आरपीएस दिनांक 4.9.08 के अनुसार दिनांक 30.11.2018 से उन्हें 1 वर्ष के लिए पदोन्नति से वंचित कर दिया जाएगा। साथ ही वरिष्ठता इत्यादि में भी नीचे हो जायेंगे।

आरक्षित पैनल वर्ष 2015-16 एवं 2016-17


S.No.	Sen. No. as per seniority list as on 1.1.2016	Name (Mr./Ms./Mrs.)	Date of Birth	Present K.V.	Place of posting
1	2	3	4	5	6
1.	462	Raja Ram	25.05.1959	Baikunthpur,Raipur	Ambikapur
2.	464	Kishore Kumar Rajak	30.06.1962	COD Jabalpur	STC Jabalpur (1 st shift)
3.	465	Bhagwan Prasad	15.06.1964	AFS Jodhpur No.2	Nagaur
4.	466	Madhusudhan Mishra	15.08.1964	GCF Jabalpur No.2	STC Jabalpur (2 nd shift)
5.	469	Mallappa G Shegani	01.05.1961	AFS Samba Belagavi No.1	Belgaum Cantt. (MMPU)
6.	483	AL Balasubramanian	22.11.1962	Sivagangai	Karaikudi CECRI
7.	487	Prem Singh	15.1.1959	ONGC Dehradun	RO Dehradun
8.	496	H.P.S. Sajwan	04.02.1959	OLF Dehradun	No.2 HBK

[Handwritten Signature]
 15/11/18

					Dehradun
9.	504	Shiko Majhi	10.06.1960	Sundargarh	Rourkela
10.	505	Chotte Lal	07.06.1959	Jaipur No.6	Nasirabad
11.	513	Rajesh Kumar Sharma	01.03.1962	Pushp Vihar	Tughlakabad (2 nd shift)
12.	517	Ishwar Chandra Baskey	05.03.1959	Baripada No.1	Baripada Murgabadi
13.	520	Appa Vaijinatha	01.06.1959	AFS Bidar	Jharasangam
14.	522	Roshan Lal	15.5.1963	Ambala Cantt. No.1	RO Chandigarh
15.	524	B.C. Gogoi	01.11.1960	ONGC Nazira	Tuli
16.	525	Ramanand Singh	01.02.1964	SGPGI Lucknow	IIM Campus Lucknow
17.	532	Phool Singh	04.05.1964	Babina Cantt.	Talbehat
18.	537	R.D. Shukla	01.07.1960	DLW Varanasi No.4	RO Varanasi
19.	540	Rajesh Kumar Birha	03.01.1964	VF Jabalpur	COD Jabalpur
20.	541	Attar Singh	01.01.1959	Faridabad No.1	Palwal
21.	543	S. Pan	10.08.1960	Jharsuguda	Sundargarh
22.	545	Shanker Singh	22.01.1961	Udhampur No.2	No.1 Udhampur
23.	555	Shiv Pratap Pandey	23.04.1964	Khandwa	Khargone
24.	556	Inru Ram	21.10.1964	Vikaspuri	BSF Chhawala
25.	564	I.G. Mudakanni	01.06.1960	Dharwad	Belgaum Cantt
26.	569	Mohd. Hanif	01.07.1961	AFS Jodhpur No.1	Jalore
27.	576	Ramesh Chand	02.02.1960	Ambala No.3	ZIET Chandigarh
28.	578	Gulab Singh Kushwaha	17.03.1960	1 STC Jabalpur	No.1 GCF Jabalpur
29.	579	Dinesh Chandra	01.07.1960	Gwalior No.5	No.1 Gwalior (1 st shift)
30.	584	G.P. Mahto	30.07.1964	Gopalpur Mil Station	Bhanjnagar
31.	585	Raju Dey	28.09.1964	AFS Tezpur No.2	No.1 Tezpur
32.	587	Ram Naresh	15.03.1964	Chandigarh Sec.31	High Ground Chandigarh
33.	588	D. Suresh	01.10.1963	Uppal No.1	CU Hyderabad
34.	597	Lalan Singh	01.07.1959	Katni No.II(Rly.)	No.1 Katni

[Handwritten Signature]
15/11/18

2. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के कोटा के अधीन पदोन्नति, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त हाल के प्रमाणपत्र के प्रस्तुत करने के अधीन है अर्थात् अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने के उनके समर्थन में जैसा भी मामला हो।
3. कर्मचारी को विकल्प दिया जाएगा कि वह पदोन्नति की तिथि या निचली पोस्ट में वेतन वृद्धि की तिथि से, यानी, 1 जुलाई को अपना वेतन निर्धारण करवा सकते हैं। परंतु यह विकल्प एक महीने के भीतर दिया जाना चाहिए।
4. कर्मचारी की बीमारी / प्रसूति के कारणों को छोड़कर कोई भी विस्तार नहीं किया जायेगा। जिसके लिए सरकारी अस्पताल के सिविल सर्जन / जिला अस्पताल या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग / परियोजनाओं के अस्पताल के चीफ मेडिकल ऑफिसर से जो स्कूल संलग्न है / एक सैन्य या कमान अस्पताल से चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। यदि कोई ऐसा अनुरोध हो तो विस्तार के लिए केवीएस (मुख्यालय) को दिनांक **29.11.2018** तक उचित माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
5. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पदोन्नति पर पदस्थापन की जगह या कार्यभार ग्रहण करने की तिथि में विस्तार के लिए अनुरोध पर (उपरोक्त पैरा 4 के तहत आने वाले मामले के अलावा) किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।


 (सरदीप सिंह चौहान) 15/11/18
 सहायक आयुक्त (स्थापना)

वितरण:

1. संबंधित कर्मचारी को इस निर्देश के साथ कि उन्हें दिनांक **26.11.2018** तक अनिवार्य रूप से अपनी स्वीकृति इस कार्यालय को प्रेषित करें। यदि उन्हें पदोन्नति का प्रस्ताव स्वीकार हो तो दिनांक **29.11.2018** तक या उससे पहले कार्यमुक्त हो। यदि वह इस तिथि तक कार्यमुक्त नहीं हो पाता तो उन्हें दिनांक **29.11.2018** को कार्यमुक्त माना जाएगा।
2. संबंधित उपायुक्त, के.वि.सं. क्षेत्रीय कार्यालय को आवश्यक कार्यवाई हेतु। यदि संबंधित कर्मचारी द्वारा पदोन्नति के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है तो वे दिनांक **26.11.2018** तक अपनी सहमति संबंधित उपायुक्त के माध्यम से के.वि.सं. (मु.) को भिजवाना सुनिश्चित करें। यदि वे निर्धारित तिथि तक अपनी स्वीकृति बिना किसी शर्त के असहमत रहते हैं तो यह मान लिया जाएगा कि वे अपनी पदोन्नति का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना चाहते और इस संबंध में उन्हें बिना किसी पत्राचार के इस प्रस्ताव को वापस ले लिया जाएगा और यदि उन्होंने पदोन्नति के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है तो उन्हें **29.11.2018** तक हर हालत में कार्यमुक्त कर दिया जाए ताकि वे नियुक्ति के नए स्थान पर निर्धारित तिथि **30.11.2018** तक कार्यभार ग्रहण कर सकें।
3. उपायुक्त केवीएस, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को इस अनुरोध के साथ कि वे पदोन्नति पर पदस्थ कर्मचारी की कार्यभार ग्रहण की तिथि इस कार्यालय को सूचित करें।
4. वित्त अधिकारी, के.वि.सं., संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय।
5. अनुभाग अधिकारी, (भर्ती एवं पदोन्नति अनुभाग), के.वि.सं. (मु.), नई दिल्ली।
6. ईडीपी प्रकोष्ठ, के.वि.सं. (मु.), नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे इसे मुख्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।
7. गार्ड फाइल।